नगर परिषद, झालावाड

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JHALAWAR/FIRENOC/2025-26/56246

जारी दिनांकः 21-JUL-2025 वैधता दिनांकः 20-JUL-2027

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः JOHNSON T SAM

आवेदक का पताः EMMANUEL VILLA JHALAWAR

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **EMMANUEL MISSION SENIOR, SECONDARY SCHOOL, RAILWAY STATION ROAD, JHALAWAR, JHALAWAR, JHALAWAR, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **अस्थाई** (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनील पदार्थ नही रखा जावे।
2. रेप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
3. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृश्टि से ही मान्य होगा।
4. अग्निामन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
5. निरीक्षण के दौरान आवयक दिा निर्देों की पालना करना आवयक होगा।
6. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
7. अनापत्ति प्रमाण–नत्र जारी करने की तिथ से एक वर्श की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्श बाद अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवयक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्श में कम से कम दो बार अग्निामन विभाग द्वारा प्रक्षिण दिलाना आवयक होगा।
9. यदि राज्य सरकार या निगम द्वासरा भविश्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
10. भवन का मुख्य अग्निामन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरम नही पाए जाने की स्थिति में यह अभिांशा पत्र निरस्त माना जाएगा।
11. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
12. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
13. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर रिनीवल नही कराने पर प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये पेनल्टी अतिरिक्त देय होगी।
14. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नही है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Signed by: Bhanu Pratap Singh
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: JHALAWAR, Rajasthan
Date: 21/07/2025 10:26:30

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, झालावाड